वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 87/2025 *दिनांक- 08.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-08.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-सिधारी:-नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

***गिरफ्तारी/घटना का अनावरण:-**

आज दिनांक 08.03.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति पंकज यादव पुत्र अवधेश यादव ग्राम देवरिया जब्ती माफी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को करनपुर पुलिया से लगभग 200 मीटर पहले से समय करीब 01.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09.720 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा के बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह जनपद अम्बेडकरनगर से गांजा लाकर यहाँ बेचता है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1- 09.720 किलोग्राम गांजा

2- 260 रूपये नगद जामा तलाशी का

3- 01 अदद मोटर साइकिल नं0- UP50AH9123

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

पंकज यादव पुत्र अवधेश यादव ग्राम देवरिया जब्ती माफी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 98/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0- 182/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 98/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

02.थाना-सिधारीः- देर रात्रि तक तेज आवाज में डीजे बजाने वाला डीजे मालिक व आपरेटर गिरफ्तार

गिरफ्तारी/घटना का विवरणः-

दिनांक-08.03.2025 को उ0नि0 मु0 इस्लाम मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग व रात्रि गश्त में भ्रमणशील थे कि जैसे ही पुराना RTO आफिस के पास पहुंचे तो रात्रि करीब 01.25 बजे तेज आवाज में डी0जे0 बजने की आवाज सुनाई दी नजदीक जाने पर देखा कि ग्राम घोरठ में सुबेदार निषाद पुत्र स्व0 सुन्नर निषाद निवासी घोरठ के दरवाजे पर डी0जे0 मालिक अनिल यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी नीबी बुजुर्ग पोस्ट बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व डी0जे आपरेटर निरंजन राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर निवासी मोहब्बतपुर रौजा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा अत्यधिक तेज आवाज में डी0जे0 बजाकर लोकन्यूसेन्स कारित किया जा रहा था जहां पर आस पास के लोग तथा पढ़ने वाले छात्र विरोध कर रहे हैं । उ0नि0 मु0 इस्लाम द्वारा डी0जे मालिक व आपरेटर से डी0जे0 बन्द कराकर कब्जा पुलिस में 1. डी0जे0 पेटी/साउण्ड बाक्स -4 पीस, 2. ट्वीटर 02 पीस, 3.एम्प्लीफायर 04 पीस, 4.स्मोक/धुवा मशीन 01 अदद, 5.सारपी लाईट पेटी 01 अदद, 6.डी0जे0 मिक्सर 01 पीस, 7.डी मैक्स 01 पीस कब्जे में लेकर मय मैजिक वाहन संख्या UP50BT6725 को थाना पर लाकर धारा 207 MV ACT में सीज किया गया व डी0जे मालिक व डी0जे0 आपरेटर के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 223/270/292 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरणः-

1.डी0जे0 पेटी/साउण्ड बाक्स -4 पीस
2.ट्वीटर 02 पीस
3.एम्प्लीफायर 04 पीस
4.स्मोक/धुवा मशीन 01 अदद
5.सारपी लाईट पेटी 01 अदद
6.डी0जे0 मिक्सर 01 पीस
7.डी मैक्स 01 पीस
8. मैजिक वाहन संख्या UP50BT6725,

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1.अनिल यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी नीबी बुजुर्ग पोस्ट बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष डी0जे0 मालिक/संचालक
2. निरंजन राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर निवासी मोहब्बतपुर रौजा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष डीजे आपरेटर

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 99/25 धारा 223/270/292 बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

03.थाना-कोतवाली:-जान से मारने की नियत से हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 18.01.2025 को वादी विशाल पुत्र बृजेश ग्राम मोजरापुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि समय लगभग 5.30 बजे शाम को अभियुक्त जितेन्द्र(उर्फ) राज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम खोजापुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ व 03 अन्य लोग नाम, पता अज्ञात द्वारा हाफिजपुर चौराहे से पश्चिम स्थित कोल्ड स्टोर के सामने वादी के भाई पर लोहे की राड से घातक हमला किया गया जिससे वादी के भाई का सर फट गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/2025 धारा 109/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 08.03.2025 को उ0नि0 अतीक अहमद मह हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त चमन कुमार पुत्र शामू राम ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को जीयनपुर कोठरा मोड से समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. चमन कुमार पुत्र शामू राम ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 25/25 धारा 109/115(2)/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

04.थाना-मुबारकपुर:-दुष्कर्म में वांछित 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.03.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त बृजेश पुत्र दुलारे निवासी ग्राम मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा दि0 24.01.25 को समय 23.30 बजे रात्रि को आवेदिका के घर में घुसकर आवेदिका के इच्छा के विरूद्व शारीरिक सम्बन्ध बनाना व विरोध करने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देना व अभद्र भाषा का प्रयोग करना तथा बृजेश के मामा के लड़के द्वारा आवेदिका का अश्लील वीडीयो व फोटो वायरल किया गया। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 296/333/64/352/351(2) बीएनएस व 67 IT ACT बनाम 1. बृजेश पुत्र दुलारे निवासी ग्राम मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व 2. राकेश पुत्र सुबाष निवासी अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 08.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बृजेश पुत्र दुलारे निवासी ग्राम मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को उसके घर से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त:-

01. बृजेश पुत्र दुलारे निवासी ग्राम मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 296/333/64/352/351(2) बीएनएस व 67 IT ACT थाना मुबारकपुर

05.थाना-फूलपुरः-चोरी की 01 अदद मोटर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 07-03-2025 को वादी मो0 हासिम पुत्र मो0 ताहिर खाँ ग्राम वक्शपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया प्रार्थी का एक मकान ग्राम चकनूरी में स्थित है तथा मकान में गेट लगा हुआ है जिसमें काफी समान रखा हुआ है। दिनांक 04/03/2025 की रात में उसमें लगा मोटर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 134/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 08.03.2025 को व0उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त **राज उर्फ आनन्द उर्फ बाबा पुत्र अर्जुन निवासी महुआ थाना पवई जिला आजमगढ़ हाल पता ननिहाल नाना रामसूरत निवासी चकनूरी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को BSNL तिराहे के पास स्थित गुमटी के पास** से समय करीब 12.38 बजे 01 अदद पानी की मोटर काले पिले रंग के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. राज उर्फ आनन्द उर्फ बाबा पुत्र अर्जुन निवासी महुआ थाना पवई जिला आजमगढ़ हाल पता ननिहाल नाना रामसूरत निवासी चकनूरी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

पानी की मोटर काले पिले रंग की

***पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह मोटर मैने मो0 हासिम s/o मो0 ताहिर निवासी बक्सपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के स्थित ग्राम चकनूरी के मकान से 02 दिन पहले चोरी किया था दिन में लोग देख लेगे इस लिये रात में बेचने के लिए जा रहा था।

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0-134/2025 की धारा 305/317(2) बीएनएस

01. थाना-मुबारकपुरः- दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

घटना का संक्षिप्त विवरण/गिरफ्तारी का विवरणः-

वादिनी सीमा यादव पत्नि रामप्रताप यादव केन्द्र व्यवस्थापक सुभागी इ0का0दरियाबाद पिचरी आजमगढ़ स्थाई पता ग्राम असोना थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि अभ्यर्थी जिसकी परीक्षा कमरा नं0 07 मे थी जानबूझ कर अपने स्थान पर अपने सकल से मिलते हुए एक लडके को फर्जी रूप से भेजकर अपनी सीट पर बैठाकर पहचान छिपाते हुए परीक्षा दिलवा रहा था। चेकिंग के दौरान कक्ष निरीक्षक सतीश यादव द्वारा लडके को संदिग्ध परिस्थिति में परीक्षा देते हुए पाया गया है। जिसका यह कृत्य धोखाधड़ी साजिस एवं परीक्षा अधिनियम का दण्डनीय अपराध होना पाया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 97/2025 धारा 319(2)/318(4) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधीनियम बनाम 02 नफर बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत किया किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा एक बाल अपचारी को अचलापार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ से समय करीब 12.45 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 97/2024 धारा 319(2)/318(4) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधीनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ

06.थाना-सिधारीः-दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 05.01.2025 को वादी रामदुलारे मौर्य पुत्र स्व0 वशिष्ठ मौर्य निवासी मुस्तफाबाद पो0-जहानागंज थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी अपनी बेटी की शादी नीलमणी पुत्र राजमणी निवासी हैदराबाद उर्फ छतवारा के साथ किया था। वादी की पुत्री को उसके पति व सास द्वारा दहेज के लिए प्रताडित किया जाता था जिससे दिनांक 03/04.01.2025 को इलाज के दौरान वादी की पुत्री की मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा- 80/85 -बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1. निलमणि मौर्या पुत्र राजमणि मौर्य (पति) 2.जड़ावती मौर्या(जिया) पत्नी राजमणि मौर्या (सास) निवासीगण हैदराबाद छतवारा थाना सिधारी आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 08.03.2025 को उ0नि0 राजबिहारी सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नीलमणी मौर्या पुत्र राजमणी मौर्या सा0 हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को छतवारा से हुसैनगंज जाने वाले रास्ते पर यादव ढाबा के सामने रोड समय करीब 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01. नीलमणी मौर्या पुत्र राजमणी मौर्या सा0 हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 04/2025 धारा- 80/85 -बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 98/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़